न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 24 / 2014

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 जमनाराम पुत्र बिड़दुराम उम्र 45 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नं.11 कुआ जाटावाला उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 बनारसी पत्नी गिरधारी जाति माली निवासी वार्ड नं. 11 कुआ जाटावाला उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 उप पंजियक उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

अपील अ0 धारा 225 राज0 टिनेन्सी एक्ट 1956
विरूद्व निर्णय दिनांक 30.01.2012 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन अधिकारी उत्तमसिंह
शेखावत (आर.ए.एस) मु.नं0 234/2011 उनवानी
बनारसी बनाम जमनाराम आदि बाबत विभाजन
एंव स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित

1. श्री धर्मवीर सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री श्रवण कुमार सैनी अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–08.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 234/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 बनारसी ने विचारण न्यायालय में एक दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3036 तन ग्राम उदयपुरवाटी पेश कर बाहमी विभाजन अनुसार विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट बावजुद तामिल सुचना के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं वादी की सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय में जमनाराम को 19.09.2011 को नोटिस जारी हुआ है 30.09.2011 को तामिल दी है। तामीम कुनिन्दा ने कोई तारीख नही लगाई है। गवाहों के हस्ताक्षर नही है गवाह पडोसी नही है अपील के साथ धारा 5 प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय का निर्णय मनमाना प्राकृतिक सिद्वान्त के विरूद्व है मौके पर पूर्व पश्चिम बंटवारा किया हुआ था अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुना नही गया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने का कथन किया है यह आवेदन अपीलांट स्वयं ने 03.07. 2014 को आदेशिका पर हस्ताक्षर कर नोटप्रेस में खारिज करवाया है। अब धारा 5 के आवेदन के साथ मिथ्या कथन कर वादी को अनैतिक दबाव में लाने के लिए अपील पेश की है। हमारा रकबा समान नही है छोटा बड़ा है विचारण न्यायालय में 30.09.2011 को समन जारी हुये है एकतरफा कार्यवाही का आदेश 06.01.2012 का है अन्तिम डिक्री को चुनौति नही दी गई है अपील स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नही की है। अपने कथनों के समर्थन में आर.एल. डब्ल्यू 2013(2) आर.जे. पेज 1225 आर.एल. डब्ल्यू 2014 (1) आर.जे. पेज 460, आर.एल. डब्ल्यू 2014(1) आर.जे. पेज 470 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी ने दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

14.09.2011 को वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी को दिनांक 06.01.2012 को बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही की गई है। दिनांक 30.01.2012 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी एवं दिनांक 12.03.2012 को अन्तिम डिक्री जारी की गई। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने आवेदन संख्या 380/2012 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. दिनांक 03.12.2012 को पेश किया जिसे दिनांक 31.07.2014 को स्वयं अपीलांट ने नोटप्रेस में इस आवेदन को खारिज कराया है। इसके विपरित अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन में आदेश 9 नियम 13 की कार्यवाही को छिपाते हुये 12.05.2014 को विचाराधीन निर्णय की जानकारी होने का कथन कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने का कथन किया है। पत्रावली के उपरोक्त विवेचन से अपीलांट के कथन मिथ्या साबित होते है अपीलांट स्वच्छ हाथो से नही आया है अपीलांट न्यायालय को मुगालता देकर अपील स्वीकार करवाना चाहता है यहा यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के प्राथमिक डिक्री के निर्णय को अपीलांट ने इस अपील में चुनौति दी है अन्तिम डिक्री की अपील ही नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर